न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 323/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 846/2026
(CNR No: UPGZ010020732026)
1. रजनीश पुत्र राजबहादुर सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, पति
2. राजबहादुर सिंह उर्फ आर.पी. सिंह पुत्र श्री लीलाधर सिंह उम्र 57 वर्ष, ससुर
3. श्रीमती सुशीला उर्फ गुडडी पत्नी राजबहादुर सिंह उम्र करीब 54 वर्ष सास,
निवासीगण एन–34 सेक्टर–12 प्रताप विहार, थाना विजयनगर, जिला–गाजियाबाद, उ०प्र०।
....................आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 48/2025
धारा–498A, 323, 504, 506 भा०द०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना –महिला थाना, जिला गाजियाबाद।

....

19.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण रजनीश , राजबहादुर सिंह उर्फ आर.पी. सिंह एवं श्रीमती सुशीला उर्फ गुडडी की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले को मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद प्रेषित किया गया था, परन्तु अभी तक कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 09.02.2026 को न्यायालय में दायर किया गया, उसके उपरान्त चार तिथियां नियत हो चुकी हैं। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षकारों के बीच अभी कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। न्यायहित में सुनवाई कर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद से यदि कोई आख्या प्राप्त होती है तो उसे सम्बन्धित न्यायालय की मूल पत्रावली पर दाखिल करना सुनिश्चित करे।

3. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती नीतू कुमारी ने दिनांक 26.05.2025 को थाना महिला थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादिनी का विवाह रजनीश पुत्र श्री राज बहादुर सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 19.02.2019 को सम्पन्न हुआ था। शादी के समय उसके मायके वालों ने स्त्रीधन के रूप में घर गृहस्थी का सामान, जेवरात व नकदी आदि सामान दिया तथा शादी में 20 लाख रूपये से अधिक खर्च किया था। विवाह के पश्चात से ही उसके पति व उसके घर वालों ने उससे कहा कि उसके मायके वालों ने उनकी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया है जिससे समाज में उनकी तोहीन हेा गयी है तथा एकराय होकर अतिरिक्त दहेज के रूप में 10 लाख रूपये नगद व एक बडी कार की मांग करने लगे। वादिनी ने अपने पति व उसके घरवालों की अतिरिक्त दहेज की मांग

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.20 10:08:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पूरी कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की जिस पर ये लोग एकराय होकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर शारीरिक यातनाएं देने लगे। वादिनी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसकी उम्र इस समय लगभग तीन वर्ष है परन्तु उक्त लोगों ने उसकी कोई देखभाल नहीं की । उसके पति अपने घरवालों के साथ मिलकर एकराय होकर कमरे के अंदर बंधक बनाकर बेरहमी से उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए मारते थे, कहते थे कि वह इसी तरह से तडफा तडफा कर उसकी हत्या कर देगें। अपने पति व उसके घरवालों की यातनाओं के कारण वह बहुत कमजोर हो गयी थी, बीमार पड गयी थी। दिनांक 28.03.2023 को उसके पति व उसके घरवालों ने कमरे के अंदर बंधक बनाकर उसकी हत्या करने की नियत से बुरी तरह से एकराय होकर पीटना शुरू कर दिया। दिनांक 28.03.2023 को उसके पति व घरवालों ने उसके साथ मारपीट की तथा मात्र पहने हुए कपडों में उसकी बेटी सहित यह धमकी देकर घर से भगा दिया कि यदि बिना मांग पूरी कराये आयी तो जिन्दा जलाकर जान से मार देगें।

5. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/ अभियुक्तगण पीडिता का पति, सास व ससुर हैं। आवेदक/अभियुक्तगण ने पीडिता से कभी दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए प्रताडित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त रजनीश ने अपनी पत्नी नीतू व उसके भाई रवि व अजय व मनीष के विरूद्ध एक परिवाद संख्या 32161/2023 गाली गलौंच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दायर कर रखा है। आवेदक/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के सदस्य हैं। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज में 10 लाख रूपये व एक बडी कार की मांग की गयी और दहेज की मांग पूरी न करने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूपसे प्रताडित किया गया। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

7. आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर अन्य परिजनों के साथ मिलकर दहेज में 10 लाख रूपये व एक बडी कार की मांग करने तथा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूपसे प्रताडित किये जाने का आरोप है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण वादिनी का पति, सास व ससुर हैं। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद है।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण रजनीश, राजबहादुर सिंह उर्फ आर.पी. सिंह एवं श्रीमती सुशीला उर्फ गुडडी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप अविलम्ब अथवा अधिकतम अन्दर 07 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग प्रदान करेगें तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगें।

(ii) आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगें।

(iv) आवेदक/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगें, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(v) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडात्मक कार्यवाहियों का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्तगण को तभी रिहा किया जायेगा जब उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(विनोद सिंह रावत)

दि० 19.03.2026

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।